न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1003 / 2022
अनवान : –

1. भंवर सिंह पुत्र मुन्शीसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मुन्शीसिंह पुत्र आशुसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. कालुसिंह पुत्र मुन्शीसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. प्रर्वतसिंह पुत्र मुन्शीसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 12/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 501 / 519 की कुल 3.3640 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि एवं इसी तरह रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 502 / 518 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 3 व 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ उक्त वादी भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है। उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 बहिब के खातेदार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया की उक्त वाद भूमि के आशुसिंह पुत्र गिरधारीसिंह खातेदार काश्तकार थे। आशुसिंह पुत्र गिरधारीसिंह की फौतदगी के बाद उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम विरासतन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 501/519 की कुल 3.3640 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं इसी तरह रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 502/518 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजीनाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य मिसल बंदोबस्त सम्वत 2029–2038 रोही मौजा भूकरका ईएक्सपी–1, जमाबंदी रोही मौजा भूकरका सम्वत 2070–2073 खाता स0 501/519 ईएक्सपी–2, जमाबंदी रोही मौजा भूकरका सम्वत 2070–2073 खाता स0 502/518 ईएक्सपी–3 प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 व 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 501/519 की कुल 3.3640 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं इसी तरह रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 502/518 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया की मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं वादी तथा प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 501/519 की कुल 3.3640 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं इसी तरह रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 502/518 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:14 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1003 / 2022

अनवान : –

1. भंवर सिंह पुत्र मुन्शीसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मुन्शीसिंह पुत्र आशुसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. कालुसिंह पुत्र मुन्शीसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. प्रर्वतसिंह पुत्र मुन्शीसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1003 सन 2022

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 501 / 519 की कुल 3.3640 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि एवं इसी तरह रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 502 / 518 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 1/2/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:14 IST
Reason: SelfAttested